18/5/24

पत्रावली पेश/ वकील पक्षकारान उपस्थित। वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली को बाद अमलदरामद तरमीम के पश्चात पत्रावली जिला रिकॉर्ड मजाज में शामिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
39 / 2026	13.02.2026	18.05.2026

बउनवान

1. विक्रम पुत्र शीशराम जाति गुर्जर निवासी गांधीनगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. बत्तो पुत्री छीतर
2. कबूली पुत्री छीतर जातियान गुर्जर निवासीयान गांधीनगर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रतिवादीगण

5. उर्मिला पुत्री रामकरण
6. कैलाशचन्द पुत्र धनसी
7. ज्ञाना देवी पुत्री नन्दराम
8. फतेहसिंह पुत्र छीतर
9. बन्नाराम पुत्र धनसी
10. ब्रहमा पुत्र धनसी
11. बलराम पुत्र धनसी
12. बालाराम पुत्र धनसी
13. बिल्लो पत्नी रामकरण
14. भोली देवी पत्नी छीतर
15. मुन्नीदेवी पत्नी नन्दराम
16. महेन्द्र पुत्र रामकरण
17. मिश्रो पुत्री धनसी
18. योगेश पुत्र रामकरण
19. रामबाई पत्नी धनसी
20. रामवतार पुत्र धनसी
21. रामसिंह पुत्र ग्यारसाराम
22. रोशनलाल पुत्र धनसी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

23. रोहताश पुत्र धनसी
24. शीशराम पुत्र छीतर
25. सन्तोष पुत्र छीतर
26. सरवण पुत्री धनसी
27. हरलाल पुत्र धनसी
28. हरिराम पुत्र छीतर जातियान गुर्जर निवासीयान गांधीनगर तह0 मुण्डावर
29. उमेश कुमार पुत्र बलवीर जाति खटीक
30. ओमप्रकाश पुत्र मथरिया जाति गुर्जर
31. कमला देवी पत्नी शीशराम जाति गुर्जर
32. कर्णसिंह पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर
33. कर्म विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान मुण्डावर जरिये सचिव
34. चमेली पत्नी मंगतूराम जाति गुर्जर
35. धोली पुत्री मंगतूराम
36. प्रताप पुत्र मुथरिया जाति गुर्जर
37. फूलसिंह पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर
38. जग्गीराम पुत्र भूतेरी जाति गुर्जर
39. राजाराम पुत्र मंगतूराम जाति गुर्जर
40. सचिन पुत्र माया पत्नी राजाराम जाति गुर्जर
41. मोनू पुत्र माया पत्नी राजाराम जाति गुर्जर
42. सीताराम पुत्र बोदन जाति गुर्जर
43. मुंशीराम पुत्र मंगतूराम जाति गुर्जर निवासी गांधीनगर तह0 मुण्डावर
44. संतराम पुत्र जगराम जाति गुर्जर
45. रिंकू पुत्र रामप्रसाद पुत्र बलवीर जाति गुर्जर निवासीयान गांधीनगर तहसील मुण्डावर
46. अतरसिंह पुत्र ग्यारसा
47. अनिल कुमार पुत्र उदमीराम
48. अमलेश पुत्री श्रीचन्द
49. कृष्ण पुत्र सुरेश
50. कृष्ण कुमार पुत्र भूपसिंह
51. कृष्ण पुत्री ग्यारसीराम
52. गीता देवी पुत्री भूपसिंह
53. गोपीचन्द पुत्र उदमीराम
54. जगमाल पुत्र लीलाराम
55. झम्मनलाल पुत्र उदमीराम
56. दीपक कुमार पुत्र भूपसिंह
57. पंकज पुत्र श्रीचन्द
58. पृथ्वीसिंह पुत्र उदमीराम
59. बिमला पुत्री ग्यारसाराम

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

60. भजनलाल पुत्र लीलाराम
61. भुपेन्द्र पुत्र श्रीचन्द
62. मुकेश पुत्र सुरेश
63. मुकेश पुत्र श्रीचन्द
64. मुनेश पुत्र ग्यारसा
65. महेश पुत्र ग्यारसा
66. माया पत्नी भूपसिंह
67. रामकरण पुत्र लीलाराम
68. रामनिवास पुत्र उदमीराम
69. रोहिताश पुत्र उदमीराम
70. शिवलाल पुत्र ग्यारसा
71. सुन्दरलाल पुत्र ग्यारसा
72. सुनिता पुत्री ग्यारसाराम
73. सुनीता देवी पुत्री भूपसिंह
74. सुमित्रा पत्नी सुरेश
75. सरबती पत्नी श्रीचन्द
76. सरोज पुत्री उदमीराम
77. सोमदत्त पुत्र ग्यारसा जातियान अहीर निवासीयान श्योपुर तहसील मुण्डावर
78. कर्म विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष राजनीश
79. एस बी आई बैंक शाखा मुण्डावर
80. राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मुण्डावर
81. आई सी आई सी बैंक शाखा मुण्डावर
82. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मुण्डावर

:– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी वकील :– श्री शीशकान्त शर्मा

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी खं० नं0 1035 रकबा 0.38 है0, 1036 रकबा 0.32 है0, 1037 रकबा 0.19 है0, 1038 रकबा 0.38 है0, 1032 रकबा 0.38 है0, 1039 रकबा 0.51 है0 वाक ग्राम गांधीनगर मे स्थित है। जो आराजी इस वाद मे विवादित कहलायेगी।
2. यह है कि उपरोक्त विवादित आराजी के गत खं० नं0 1703, 1704, 1705, 1706, एक ही व्यक्ति की आराजी थी। जिस गत खं0 नं0 पर एक ही व्यक्ति 4 अपने जीवनकाल में काबिज काश्त था। जिसने अपनी गत खं०नं० का बेचान वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 व तर0 प्रतिवादीगण को

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

कर दिया तथा खरीददार अपने खरीदशुदा हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

3. यह है कि सैटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियो ने गत ख0 नं0 से हाल ख0नं0 1035 गत ख0नं0 1703 व 1036 व 1037 का गत ख0 नं0 1704 व 1038 का गत ख0 नं0 1705 व 1039 का गत ख0 नं0 1706 पैमूद का दिया है।

4. यह है कि मिन वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 व तर0 प्रतिवादीगण अपने खरीदशुदा हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन सैटलमेंट विभाग द्वारा गत ख0 नं0 से हाल ख०नं० पैमूद करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ हाल ख०नं० को एक दूसरे खातेदारान के नाम दर्ज कर दिया तथा ख0नं0 1036 व 1037 को अलग कर गत ख0नं0 1704 के दो भाग कर दिये। जबकि मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण अपने खरीदशुद्धा आराजी पर मौके पर वक्त खरीद से आज दिन तक काबिज काश्त है तथा अन्य खातेदार भी वक्त खरीद से अलग–अलग नम्बर पर काबिज काश्त है।

5. यह है कि मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण को इस बात की जानकारी नही थी कि राजस्व रिर्कोड मे मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण किसी दिगर के ख०नं० पर काबिज है। जिसकी जानकारी होने पर मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण ने राजस्व रिर्कोड दूरुस्त कराने हेतु एकत्रित हुये। जिसमे कुछ खातेदार रिर्कोड दुरुस्त कराने हेतु सहमत हो गये तथा कुछ खातेदार सहमत नही हुये। जिस पर दिनांक 6/08/2025 को उक्त ख0 नम्बरान के खातेदार द्वारा रिर्कोड दूरुस्त कराने हेतु एक समझोता पत्र तहरीर वो तकमील कराया तथा तय किया कि इस समझोता पत्र के अनुसार रिर्कोड दूरुस्त करा लेंगे।

6. यह है कि गिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण ने समझोता पत्र तहरीर वो तकमील कराने के बाद विवादित्त आराजी के साकिब रिर्कोड हेतु आवेदन किया। लेकिन सैटलमेंट विभाग ने रिर्कोड जीर्ण शीर्ण होने की कहकर नकल नही दी, जिस कारण मिन वादी को गत व साकिब रिर्कोड की नकल प्राप्त नहीं हुई।

7. यह है कि आराजीयात पर जिस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण वः तर० प्रतिवादीगण काबिज है। उस प्रकार से खातेदारी सही दर्ज हैं। सभी पक्षकारान अलग खसरा नम्बरान पर है। राजस्व कर्मचारियो ने बिला कब्जा व बिना किसी अधिकार से गलत रुप से आराजी में गलत तरीके से उनके नाम का गलत अंकन दिया। जो नं0 पर काश्त कर रहे थे जो नं० उनने व उनके पूर्वजो ने खरीद किया था और जहाँ काबिज हुये थे। उस हिसाब से दर्ज नहीं किया। जो कानूनन सही नहीं है। जो खातेदार जिस न0 पर पूर्वजो के समय से काश्त करते चले आ रहे है। उस नं0 पर खातेदारी दर्ज न करके दूसरे खसरा नम्बरान पर खातेदारी दर्ज की गई है। वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

मे आराजी ख0 नं0 इस प्रकार दर्ज है। आराजी ख0नं0 1035 मे प्रतिवादी सं० 1 व 2 व तर० प्रतिवादीगण सं0 5 ल0 28 का नाम दर्ज है। जबकि प्रतिवादी सं० 1 व 2 व तर० प्रतिवादीगण 5 ल० 28 ख० नं0 1036 रकबा 0.32 है0 के 0.24 है० पर तथा ख०नं0 1037 रकबा 0.19 है0 के 0.08 है० तथा ख०न० 1039 रकबा 0.51 है0 के 0.06 है० पर काबिज है। जबकि ख०न० 1035 रकबा 0.38 है० पर तर० प्रतिवादी सं0 46 0 77 काबिज है। जो वक्त बुजुर्गो के समय से जब से खरीद की है काबिज है व शान्ति पूर्ण काश्त कर रहे है। अतः ख0नं0 1035 से प्रतिवादी सं0 1 व 2 व तर० प्रतिवादी सं० 5 लं0 28 का नाम हजफ किया जाना कानून उचित है एवं ख0 न0 1035 रकबा 0.38 है0 पर जो तर0 प्रतिवादी सं0 46 ल0 77 काबिज है उनका नाम दर्ज किया जाना कानून सही होगा तथा खं०न0 1035 के वर्तमान खातेदार जो दर्ज है वो प्रतिवादी सं0 1 व 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 5 लं0 28 उनके काबिज अनुसार ख0नं0 1036 रकबा 0.32 है0 में रकबा 0.24 है0 (बाकि बदस्तूर कर्म विद्या मन्दिर 0.08 है0) तथा खं0 नं0 1037 मे 0.08 है0 तथा खं०नं0 1039 में से 0.06 है० कुल 0.38 है0 पर काबिज है। ख0नं0 1037 रकबा 0.19 है0 में 0.08 है० तक कर्म विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष तर0 प्रतिवादी सं0 78 का नाम हजफ कर बाकि बदस्तूर 0.015 है० ख0नं0 1037 रकबा 0.095 तर0 प्रतिवादी सं0 27 बदस्तूर किया जावे व तर० प्रतिवादी सं0 78 के नाम 0.015 दर्ज किया जाना कानूनन उचित होगा। इसी प्रकार खं०नं0 1039 में से वादी व तर0 प्रतिवादी सं0 30 लं0 43 के हिस्से से रकबा 0.06 है0 घटाकर बाकि खं०नं0 1039 रकबा 0.45 दर्ज किया जावे। इसी प्रकार ख0नं0 1038 रकबा 0.38 है0 जो आज दिन प्रतिवादी सं0 46 ल0 77 के नाम है। जबकि इस पर वादी व तर0 प्रतिवादी सं० 29 लं0 45 काबिज है अतः खं०नं0 1038 रकबा 0.38 से तर0 प्रतिवादी सं0 46 लं0 77 का नाम हजफ कर वादी व तर० प्रतिवादी सं0 29 लं0 45 का नाम खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार कुछ पक्षकारो की भूमि तर० प्रतिवादी सं0 79 ल० 82 के रहन दर्ज है उन पक्षकारो का नाम जब दूसरे ख०नं० पर दर्ज हो जायेगा तो उसी प्रकार उसे रहन दर्ज किया जाना उचित होगा।

8. यह है कि आराजी राजस्व रिकॉड में मौका के अनुसार दर्ज नहीं हो रही है। इसलिए मिन वादी व तर० प्रतिवादीगण समझोता कर, समझोता के अनुसार आरजी को दूरुस्त कराना चाहते है, जिसके लिए मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 6/8/2025 को आपसी समझोता पत्र लिखा तथा बुजुर्गो के समय से जो खातेदार जिस नं0 पर काबिज है और शन्ति पूर्ण काश्त करते चले आ रहे है उसके अनुसार रिर्कोड दूरुस्त कराने के लिए आपसी सहमति से बिना किसी दवाब से समझोता पत्र तैयार किया और समझौता पत्र के अनुसार असल प्रतिवादी सं0 1 व 2 से

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

भी शमिल होने को कहा तो वो साफ इन्कार हो गये इसके बाद वादी व तर० प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी 3 व 4 से राजस्व रिकॉड दूरुस्त कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने रिकॉड दुरुस्त करने की बात कही और आज कल आज कल करते रहे लेकिन दिनांक 29/12/2025 को साफ इन्कार हो गया तथा समक्ष अदालत से रिकॉड दूरुस्त कराने की कही, जिस पर यही बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है। यह है कि दावा के लिए बिनायदावी व बिनायमुखासमत दिनांक 29/12/2025 को प्रतिवादीगण असल 1 व 2 शमिल होने से इन्कार करने व प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 द्वारा रिकॉड दूरुस्त करने से मना करने से पैदा होकर दावा अन्दर अवधि दावा पेश किया था।

9. यह है कि दावा इश्तकराहक मय दूरुस्ती इन्द्राज हु0 ई0 दवामी का पेश किया जा रहा है, जिसमे राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर को पक्षकार बनाया है, जो आवश्यक पक्षकार है, परन्तु राजस्थान सरकार व बैंक के खिलाफ दावा पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 (2) जा० दी० दिया जाना आवश्यक होता है. माफी चाहने हेतु 80 (2) का प्रार्थना पत्र अलग से पेश करना होता है। इस कारण दावा अर्जेन्ट नेचर का होने से नोटिस नही दिया गया है, इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु व बिना नोटिस दिये ही वाद पेश की इजाजत हेतु अलग से धारा 80 (2) जा० दी० का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ अलग से पेश है।

वादी ने अपने वाद के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अतः वाद मिन वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिग्री फरमाया जावे।

(अ) यह है कि डिग्री इश्तकरारहक मय दूरुस्ती इस अमर की पारित की जाकर राजस्व रिर्कोड इस प्रकार दूरुस्त फरमाया जावे कि ख0नं0 1035 रकबा 0.38 है0 मे असल प्रतिवादी सं0 1 व 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 5 लं0 28 का नाम हजफ कर तर0 प्रतिवादी सं0 46 ल0 77 के नाम दर्ज करके खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश दिये जावे व ख0नं0 1036 के खातेदार वादी व त्तर0 प्रतिवादी सं0 29 लं0 45 का नाम हजफ कर प्रतिवादी 1 व 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 5 ल0 28 को ख0 नं0 1039 में 0.24 है0 का खातेदार काश्तकार व तर0 प्रतिवादी सं0 33 को बदस्तूर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व खं0 नं0 1037 रकबा 0.19 है0 मे से 0.08 है0 से प्रतिवादी सं0 78 का नाम हजफ कर बाकि 0.095 बदस्तूर तर0 प्रतिवादी 27 व 0.015 है0 कर्म विद्या मन्दिर शिक्षण सस्थान तर0 प्रतिवादी 33 के नाम व ख० नं0 1039 रकबा 0.51 में से रकबा 0.06 है0 हजफ कर बाकि बदस्तूर 0.45 है0 किया जावे व खं0 नं0 1039 में से 0.06 है0 का प्रतिवादी सं0 1 व 2 व तर प्रतिवादी स0 5 ल0 28 को खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार ख0 नं0 1038 से तर0 प्रतिवादी सं0 46 ल0 77 का नाम हजफ कर वादी व तर0 प्रतिवादी सं0 29 ल0 45 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार राजस्व रिकॉड में अमल करने के सादर आदेश पारित किये जावे तथा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं जिन पक्षकारो की भूमि तर० प्रतिवादीगण सं0 79 ल0 82 के रहन है उसी प्रकार जिस प्रकार पहले ख0 नं0 पर दर्ज के आदेश दिये जावे। तथा इसी प्रकार पर्चा डिग्री की जारी की जावे।

(ब) यह है कि खर्चा मुकदमा मिन वादी को प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 से दिलाया जावे।

(स) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

वादी का वाद को दर्ज रजिस्ट्रार किया जाकर प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन पीडब्लू–1 विक्रम पुत्र शीशराम, पीडब्लू–2 मुन्शीराम पुत्र श्री छतरसिंह, पीडब्लू–3 कमल पुत्र प्रहलाद, पीडब्लू–4 मामन पुत्र श्री सूरजा, पीडब्लू–5 अजीत पुत्र परताराम का शपथ पत्र पेश कर वादी ने दस्तावेजात पर प्रदर्श–1 जमाबन्दी हाल, प्रदर्श–2 जमाबन्दी हाल, प्रदर्श–3 जमाबन्दी हाल, प्रदर्श–4 जमाबन्दी हाल, प्रदर्श–5 जमाबन्दी हाल, प्रदर्श–6 असल समझोता पत्र, प्रदर्श–7 मिलान क्षेत्रफल अंकित कराये गये।

वादी पक्ष की ओर से संक्षिप्त बहस इस प्रकार प्रस्तुत हैः–
यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतः सत्य, न्यायसंगत एवं अभिलेखीय साक्ष्यों से प्रमाणित है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1035, 1036, 1037, 1038 एवं 1039 पूर्व में गत खसरा नम्बर 1703, 1704, 1705 एवं 1706 के रूप में एक ही खातेदार की खातेदारी भूमि थी, जिसे समय–समय पर विभिन्न पक्षकारों द्वारा क्रय किया जाकर पृथक–पृथक कब्जा प्राप्त कर शांतिपूर्वक काश्त की जाती रही है। सभी पक्षकार अपने–अपने क्रयशुदा हिस्सों पर पूर्वजों के समय से निरन्तर काबिज काश्त हैं।

यह कि सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना वास्तविक कब्जा, बिना मौके के सत्यापन तथा बिना अधिकार के गलत पैमाइश एवं गलत इन्द्राज कर दिये गये, जिसके कारण वास्तविक कब्जाधारी खातेदारों के नाम अन्य खसरों में अंकित हो गये तथा वास्तविक स्थिति के विपरीत राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

अभिलेख तैयार हो गये। उक्त त्रुटि पूर्णतः प्रशासनिक एवं तकनीकी भूल का परिणाम है।

यह कि वादी एवं अधिकांश तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 06.08.2025 को आपसी सहमति एवं समझौता पत्र निष्पादित किया गया, जिसमें सभी पक्षकारों ने मौके की वास्तविक स्थिति एवं कब्जे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने पर सहमति व्यक्त की। उक्त समझौता पत्र प्रदर्श–6 के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत है। इससे स्पष्ट है कि विवाद वास्तविक स्वामित्व का न होकर केवल राजस्व अभिलेखों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का है।

यह कि वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में पीडब्ल्यू–1 विक्रम पुत्र शीशराम सहित पीडब्ल्यू–2 मुन्शीराम, पीडब्ल्यू–3 कमल, पीडब्ल्यू–4 मामन एवं पीडब्ल्यू–5 अजीत के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका प्रतिवादियों की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया। साथ ही प्रदर्श–1 से 5 तक जमाबन्दियां, प्रदर्श–6 समझौता पत्र एवं प्रदर्श–7 क्षेत्रफल मिलान पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं, जिनसे वादी कथन पूर्णतः प्रमाणित होता है।

यह कि प्रतिवादीगण को विधिवत तामील उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित न होकर लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः वादी का कथन अप्रतिवादित एवं अविचलित रह गया है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अप्रतिवादित साक्ष्य को सत्य स्वीकार किया जाता है।

यह कि वादी केवल वास्तविक कब्जा एवं मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने का निवेदन कर रहा है ताकि भविष्य में अनावश्यक विवाद एवं मुकदमेबाजी उत्पन्न न हो। वादी द्वारा किसी अन्य की भूमि पर अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि प्रत्येक पक्षकार को उसके वास्तविक कब्जे एवं पूर्वजों से चली आ रही काश्त के अनुसार खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी का दावा स्वीकार कर वादपत्र में वर्णित अनुसार राजस्व अभिलेख दुरुस्त किये जाने एवं पक्षकारों को वास्तविक कब्जे के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जावें तथा वाद व्यय भी वादी को प्रदान किया जावे।

विवेचनः–
वादी द्वारा प्रस्तुत दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचारणीय रहा। वादी ने अपने वाद के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं पीडब्ल्यू–2 मुन्शीराम, पीडब्ल्यू–3 कमल, पीडब्ल्यू–4 मामन एवं पीडब्ल्यू–5 अजीत के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा दस्तावेज प्रदर्श–1 से प्रदर्श–7 अभिलेख पर अंकित कराये। प्रस्तुत साक्ष्यों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजीयात पर पक्षकारगण अपने–अपने क्रयशुदा हिस्सों एवं वास्तविक कब्जे के अनुसार लंबे समय से काबिज काश्त हैं तथा सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान राजस्व अभिलेखों में वास्तविक मौके की स्थिति के विपरीत गलत इन्द्राज अंकित हो गये।

अभिलेख पर प्रस्तुत समझौता पत्र प्रदर्श–6 एवं क्षेत्रफल मिलान प्रदर्श–7 से भी यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश पक्षकार वास्तविक कब्जे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने हेतु सहमत हैं। प्रतिवादीगण को विधिवत तामील के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित होकर वादी कथन का खण्डन नहीं किया गया, फलस्वरूप उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अप्रतिवादित एवं अविचलित रहे, जिन पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष वास्तविक कब्जा, मौके की स्थिति एवं न्यायहित में प्रतीत होता है। अतः वादी का दावा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

फलस्वरूप, वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादपत्र में वर्णित अनुसार संबंधित खसरा नम्बरान में खातेदारी इन्द्राज दूरुस्त किये जाने एवं वास्तविक कब्जाधारियों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तदनुसार डिग्री पत्र तैयार किया जावे।

–: निर्णय :–

वादी विक्रम पुत्र शीशराम द्वारा प्रस्तुत दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। मुताबिक समझौता पत्र ख0नं0 1035 रकबा 0.38 है0 मे असल प्रतिवादी सं0 1 व 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 5 लं0 28 का नाम हजफ कर तर0 प्रतिवादी सं0 46 ल0 77 के नाम अंकन किया जावें, ख0नं0 1036 के खातेदार वादी व तर0 प्रतिवादी सं0 29 लं0 32 व 34 लगायत 45 का नाम हजफ कर प्रतिवादी 1 व 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 5 ल0 28 को ख0 नं0 1036 में रकबा 0.24 है0 के नाम अमल दरामद किया जावें व तर0 प्रतिवादी सं0 33 को बदस्तूर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खं0 नं0 1037 रकबा 0.19 है0 मे से प्रतिवादी सं0 78 का रकबा 0.08 है0 हजफ कर बाकि रकबा 0.015 है0 कर्म विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान तर0 प्रतिवादी 78 के नाम बदस्तुर व बाकी रकबा 0.095 बदस्तूर तर0 प्रतिवादी 27, ख० नं0 1039 रकबा 0.51 में से

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

[illegible]

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखवाकर [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुमित जैन)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर, [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
39 / 2026	13.02.2026	18.05.2026

बउनवान

1. विक्रम पुत्र शीशराम जाति गुर्जर निवासी गांधीनगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. बत्तो पुत्री छीतर
2. कबूली पुत्री छीतर जातियान गुर्जर निवासीयान गांधीनगर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रतिवादीगण

5. उर्मिला पुत्री रामकरण
6. कैलाशचन्द पुत्र धनसी
7. ज्ञाना देवी पुत्री नन्दराम
8. फतेहसिंह पुत्र छीतर
9. बन्नाराम पुत्र धनसी
10. ब्रहमा पुत्र धनसी
11. बलराम पुत्र धनसी
12. बालाराम पुत्र धनसी
13. बिल्लो पत्नी रामकरण
14. भोली देवी पत्नी छीतर
15. मुन्नीदेवी पत्नी नन्दराम
16. महेन्द्र पुत्र रामकरण
17. मिश्रो पुत्री धनसी
18. योगेश पुत्र रामकरण
19. रामबाई पत्नी धनसी
20. रामवतार पुत्र धनसी
21. रामसिंह पुत्र ग्यारसाराम
22. रोशनलाल पुत्र धनसी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

23. रोहताश पुत्र धनसी
24. शीशराम पुत्र छीतर
25. सन्तोष पुत्र छीतर
26. सरवण पुत्री धनसी
27. हरलाल पुत्र धनसी
28. हरिराम पुत्र छीतर जातियान गुर्जर निवासीयान गांधीनगर तह0 मुण्डावर
29. उमेश कुमार पुत्र बलवीर जाति खटीक
30. ओमप्रकाश पुत्र मथरिया जाति गुर्जर
31. कमला देवी पत्नी शीशराम जाति गुर्जर
32. कर्णसिंह पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर
33. कर्म विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान मुण्डावर जरिये सचिव
34. चमेली पत्नी मंगतूराम जाति गुर्जर
35. धोली पुत्री मंगतूराम
36. प्रताप पुत्र मुथरिया जाति गुर्जर
37. फूलसिंह पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर
38. जग्गीराम पुत्र भूतेरी जाति गुर्जर
39. राजाराम पुत्र मंगतूराम जाति गुर्जर
40. सचिन पुत्र माया पत्नी राजाराम जाति गुर्जर
41. मोनू पुत्र माया पत्नी राजाराम जाति गुर्जर
42. सीताराम पुत्र बोदन जाति गुर्जर
43. मुंशीराम पुत्र मंगतूराम जाति गुर्जर निवासी गांधीनगर तह0 मुण्डावर
44. संतराम पुत्र जगराम जाति गुर्जर
45. रिंकू पुत्र रामप्रसाद पुत्र बलवीर जाति गुर्जर निवासीयान गांधीनगर तहसील मुण्डावर
46. अतरसिंह पुत्र ग्यारसा
47. अनिल कुमार पुत्र उदमीराम
48. अमलेश पुत्री श्रीचन्द
49. कृष्ण पुत्र सुरेश
50. कृष्ण कुमार पुत्र भूपसिंह
51. कृष्ण पुत्री ग्यारसीराम
52. गीता देवी पुत्री भूपसिंह
53. गोपीचन्द पुत्र उदमीराम
54. जगमाल पुत्र लीलाराम
55. झम्मनलाल पुत्र उदमीराम
56. दीपक कुमार पुत्र भूपसिंह
57. पंकज पुत्र श्रीचन्द
58. पृथ्वीसिंह पुत्र उदमीराम
59. बिमला पुत्री ग्यारसाराम

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

60. भजनलाल पुत्र लीलाराम
61. भुपेन्द्र पुत्र श्रीचन्द
62. मुकेश पुत्र सुरेश
63. मुकेश पुत्र श्रीचन्द
64. मुनेश पुत्र ग्यारसा
65. महेश पुत्र ग्यारसा
66. माया पत्नी भूपसिंह
67. रामकरण पुत्र लीलाराम
68. रामनिवास पुत्र उदमीराम
69. रोहिताश पुत्र उदमीराम
70. शिवलाल पुत्र ग्यारसा
71. सुन्दरलाल पुत्र ग्यारसा
72. सुनिता पुत्री ग्यारसाराम
73. सुनीता देवी पुत्री भूपसिंह
74. सुमित्रा पत्नी सुरेश
75. सरबती पत्नी श्रीचन्द
76. सरोज पुत्री उदमीराम
77. सोमदत्त पुत्र ग्यारसा जातियान अहीर निवासीयान श्योपुर तहसील मुण्डावर
78. कर्म विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष राजनीश
79. एस बी आई बैंक शाखा मुण्डावर
80. राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मुण्डावर
81. आई सी आई सी बैंक शाखा मुण्डावर
82. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मुण्डावर

:– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री शशीकान्त गौड एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक 18.05.2026** को **श्रीमती सृष्टि जैन, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी की जाती है :–

मुताबिक समझौता पत्र ख0नं0 1035 रकबा 0.38 है0 मे असल प्रतिवादी सं0 1 व 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 5 लं0 28 का नाम हजफ कर तर0 प्रतिवादी सं0 46 ल0 77 के नाम अंकन किया जावें, ख0नं0 1036 के खातेदार वादी व तर0 प्रतिवादी सं0 29 लं0 32 व 34 लगायत 45 का नाम हजफ कर प्रतिवादी 1 व 2 व तर0 प्रतिवादी सं0 5 ल0 28 को ख0 नं0 1036 में रकबा 0.24 है0 के नाम अमल दरामद किया जावें व

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

तर0 प्रतिवादी सं0 33 को बदस्तूर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खं0 नं0 1037 रकबा 0.19 है0 मे से प्रतिवादी सं0 78 का रकबा 0.08 है0 हजफ कर बाकि रकबा 0.015 है0 कर्म विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान तर0 प्रतिवादी 78 के नाम बदस्तुर व बाकी रकबा 0.095 बदस्तूर तर0 प्रतिवादी 27, ख० नं0 1039 रकबा 0.51 में से प्रतिवादी संख्या 43 का रकबा 0.06 है0 हजफ कर बाकि बदस्तूर रकबा 0.45 है0 किया जावे व खं0 नं0 1039 में से रकबा 0.06 है0 व आराजी खसरा नम्बर 1037 का रकबा 0.08 है0 का प्रतिवादी सं0 1 व 2 व तर प्रतिवादी स0 5 ल0 28 के नाम अमल दरामद किया जावें, इसी प्रकार खं0 नं0 1038 से तर0 प्रतिवादी सं0 46 ल0 77 का नाम हजफ कर वादी व तर0 प्रतिवादी सं0 29 ल0 45 का नाम अमल दरामद किया जावें। तदनुसार आवश्यक दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व अभिलेख में अंकित किये जावें। डिकी पत्र तैयार किया जावे। वाद व्यय पक्षकार स्वयं अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.05.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)